

दिनांक-18.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
- श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
- श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- मो० वसीम अहमद, अपर सचिव
- श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुजफ्फरपुर जिले द्वारा कुल 17 योजनाओं में से एक का भी ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2015-16 की 02, 2018-19 की 01 एवं 2019-20 की 02 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानेदय एवं किराया उपस्कर एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। DPRO द्वारा बताया गया कि प्रतिनिधि भत्ता में 1.6 करोड़ की UC दिनांक-17.09.2026 को विभाग में भेजा गया है। साथ ही Pre CFMS Period का 25 करोड़ की UC इस माह के अंत तक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने जिले में कैम्प आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(ख) Post CFMS Period में कुल 413.84 करोड़ रुपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री निश्चय योजना (पेयजल एवं गली-नली), पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता एवं एम0एन0वाई0 (गली-नाली) की UC सर्वाधिक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का कुल 10.30 लाख रुपये की UC लंबित है। DPRO द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही सभी UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि उक्त के संबंध में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 7941 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1453 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमें से 835 लोगों का ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

V. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1492 प्राप्त मामलों के विरुद्ध 1375 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 51 मामले लंबित हैं। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. जन-शिकायत-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 20 मामलों के विरुद्ध 18 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन-शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

लगातार.....

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 12 मामले लंबित हैं। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग-इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग-इन कर मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून एवं जुलाई 2026 में क्रमशः कुल 200 एवं 133 Aspiration के विरुद्ध 186 एवं 126 का निष्पादन किया गया है। जून एवं जुलाई माह में BPRO द्वारा क्रमशः कुल 14 एवं 73 आवेदनों का Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि दो दिनों के भीतर सभी आवेदनों का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 123 पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध सभी 119 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। मरवां, मीनापुर, मुरौल एवं मुशहरी प्रखंडों में 01-01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंडों के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 119 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 04 में बैंक, 116 में RTPS केन्द्र, 119 में विद्युत कनेक्शन, 45 में डाकघर, 18 में NOFN एवं 49 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।



लगातार.....

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 119 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध 53 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 07 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज-1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 38 PSB के विरुद्ध 18 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। मरवां प्रखंड के गवसारा पंचायत में प्रथम तल प्लिंथ स्तर, 02 पंचायतों में प्रथम तल लिंटर स्तर, 03 पंचायतों में द्वितीय तल लिंटर स्तर एवं 06 पंचायतों में द्वितीय तल की छत की ढलाई का ही कार्य किया गया है। 04 पंचायत में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचायत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनों के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतों में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 11 पंचायतों में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 02 का निराकरण हुआ है। कुढ़नी प्रखंड के रतनौली पंचायत में चिन्हित भूमि पर स्थानीय न्यायालय द्वारा Stay Order पारित है। बाड़ा जगन्नाथ पंचायत में चिन्हित भूमि पर अतिक्रमण है। गोरीनामा पंचायत में भूमि मानक प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है। ठिकहाँ पंचायत में जमाबंदी रद्दीकरण हेतु ADM स्तर पर लंबित है। झिटकाही मधुबन पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र है, जो जर्जर अवस्था में है। राजखण्ड उत्तरी पंचायत में धार्मिक न्यास परिषद से प्राप्त NOC में लिखा गया है कि निर्मित पंचायत सरकार का मालिकाना हक उनके पास रहेगी। निदेश दिया गया कि रतनौली, गोरीनामा एवं बाड़ा जगन्नाथ पंचायत में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। जमाबंदी रद्दीकरण हेतु संबंधित BPRO अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें। राजखण्ड उत्तरी पंचायत में धार्मिक न्यास परिषद से प्राप्त NOC के मामले को जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 75 स्वीकृत पंचायतों के विरुद्ध 43 पंचायतों में भूमि उपलब्ध है, जिसमें से TA द्वारा सभी 43 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 41 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु मात्र 06 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO द्वारा बताया गया कि

राशि के अभाव में निर्माण कार्य अवरुद्ध है। निदेश दिया गया कि राशि से संबंधित अधियाचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

X. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 373 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 63 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमें से 48 पंचायतों को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 47 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से सभी 47 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु मात्र 16 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO द्वारा बताया गया कि राशि के निकासी की समस्या के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है। निदेश दिया गया कि राशि निकासी में आ रही समस्या को विभाग स्तर पर प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. मुक्तिधाम, शवदाह—गृह, मृत्यु प्रमाण—पत्र की अद्यतन स्थिति:—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 298 मुक्तिधाम/शमशान चिह्नित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा—निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 03, पंचायत समिति में 034 एवं ग्राम पंचायत में 106 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा—निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगति:—

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:—

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत

01	जिला परिषद्	49.86%
02	पंचायत समिति	54.55%
03	ग्राम पंचायत	57.69%

कुढ़नी एवं बांद्रा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

- (ख) औराई, कटरा, कुढ़नी, मरवां एवं पारु प्रखंडों में 01-01 पंचायत ऐसे हैं, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है। कटरा प्रखंड के परसौल पंचायत में Year book close नहीं होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में प्राप्ति एवं व्यय दोनों शून्य हैं।
- (ग) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद् में कुल 2316 के विरुद्ध 836, पंचायत समिति में 2470 के विरुद्ध 62 एवं ग्राम पंचायत में 18375 के विरुद्ध 214 योजना ही पूर्ण की गयी है।
- (घ) 15 लाख से ऊपर जिला परिषद् में कुल 42 एवं ग्राम पंचायत में 01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा-निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-

1. DPRO कम व्यय वाले प्रखंडों के BDO से समीक्षा कर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। यदि BDO एवं पंचायत समिति के प्रमुख भुगतान करने में बाधा उत्पन्न करे तो DPRO उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें। संबंधित BPRO परसौल पंचायत में पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार Year book close करना सुनिश्चित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. DDC जिला परिषद् में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. षष्ठम राज्य वित्त—ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थिति:-

- (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत् है:-

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
जिला परिषद्	42.30%



पंचायत समिति	26.14%
ग्राम पंचायत	29.24%

कटरा एवं मुशहरी प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

- (ख) कुदनी प्रखंड में 08, औराई एवं मरवां प्रखंडों में 06-06, कटरा एवं पारू प्रखंडों में 05-05, बरुराज (मोतीपुर), कांटी, मुशहरी एवं सकरा प्रखंडों में 04-04, बोछा, गायघाट, मीनापुर, साहेबगंज एवं सरैया प्रखंडों में 02-02 पंचायत ऐसे हैं, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है।

मीनापुर प्रखंड के BPRO द्वारा बताया गया कि महदिया पंचायत में संबंधित मुखिया द्वारा epanchayat पोर्टल पर Entry किये बिना ही राशि का व्यय किया गया है, जिसके कारण पोर्टल पर व्यय की गयी राशि प्रदर्शित नहीं हो रही है।

- (ग) पिछले 05 वर्षों में epanchayat पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1105 के विरुद्ध 00, पंचायत समिति में 985 के विरुद्ध 02 एवं ग्राम पंचायत में 6069 के विरुद्ध मात्र 268 योजना ही पूर्ण की गयी है।
- (घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80-85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-

1. कटरा एवं मुशहरी प्रखंड के BDO से DDC कारण-पृच्छा करें।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

DPRO को निदेश दिया गया कि मीनापुर के BPRO से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया जाए।

3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण में अद्यतन स्थिति तक मुजफ्फरपुर जिले में 17530 लक्ष्य के विरुद्ध 16380 लाईटों का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। 1150 लाईट अभी भी शेष है। संबंधित एजेंसी से पृच्छा करने पर बताया कि मुखिया द्वारा स्थल चिह्नित कर नहीं दिया जा रहा है।



लगातार.....

साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाइटों की संख्या क्रमशः 4427 एवं 01 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायतों में Bill Submit करने के उपरांत भी कटरा, मरवां एवं कांटी प्रखंडों में भुगतान किया गया प्रतिशत काफी कम है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 49 मामलों के विरुद्ध मात्र 23 का निष्पादन हो चुका है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ग) दिनांक— 01.01.2026 से 17.09.2026 तक पंचायत सचिवों के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 87% सोलर लाइट ON पाई गयी है, जिसमें से मरवां, मुशहरी, बरुराज(मोतीपुर) एवं बोछा प्रखंडों में ON पाई गई लाइटों का प्रतिशत कम है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. यदि एक सप्ताह के अंदर मुखिया सोलर लाइट के अधिष्ठापन हेतु स्थल चिह्नित करके नहीं देता है तो संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

एकरारनामा की शर्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाइट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा भगवानपुर प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाइटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक—9164 दिनांक— 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVI. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा-निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज

लगातार.....

करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

XVII. लंबित न्यायिक वाद :-

मुजफ्फरपुर जिले में कुल 14 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा-9)

XVIII. e- GRAM KACHAHARI :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XIX. विधान सभा/परिषद-

मुजफ्फरपुर जिले में कुल 14 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

XX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में भी 44 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XXI. निगरानी से संबंधित मामले-

मुजफ्फरपुर जिले में कुल 07 मामले निगरानी के लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलंब सभी मामलों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।



सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


24/9/26
(मनोज कुमार)
सचिव

13719

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/09/26
(अखिलेश कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

13719

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026
प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/09/26
(अखिलेश कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

13719

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026
प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


24/09/26
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी